

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-08/8/19

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-15/2019 श्र०सं०.....164...../श्री राजेश कुमार, सहायक श्रमायुक्त, गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-15/2019 श्र०सं०.....165...../श्री सुधांशु कुमार, सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-15/2019 श्र०सं०.....166...../श्री अकबर जावेद आजाद, सहायक श्रमायुक्त, मुख्य निरीक्षी कार्यालय, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, कृषि निदेशालय, पटना का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-15/2019 श्र०सं०.....167...../मो० अनिसुल हक, श्रम अधीक्षक, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, सुपौल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-15/2019 श्र०सं०.....168...../श्री राजीव रंजन, श्रम अधीक्षक, पटना-2 को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, मुंगेर (सप्ताह के 3 दिनों के लिए) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-15/2019 श्र०सं०.....169...../श्री उमाचरण, श्रम अधीक्षक, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, शेखपुरा (सप्ताह के 3 दिनों के लिए) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-15/2019 श्र०सं०.....170...../श्री जयंत कुमार, श्रम अधीक्षक, पटना-5 को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, लखीसराय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

श्री कुमार का पदस्थापन नवनियुक्त पदाधिकारी के प्रभार ग्रहण के साथ ही स्वतः समाप्त हो जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-15/2019 श्र०सं०.....170...../ पटना, दिनांक-08/07/19

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/सभी संयुक्त श्रमायुक्त/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।